न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 51 / 2024 रजि० नं0 2024 / 113 प्रवेश तिथि 07.10.2024

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
हैदर अली पुत्र इसराईल निवासी 35 सेंट अंसलम स्कूल के पीछे मुगस्का अलवर– 301001	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 29.10.2024

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा से जरिये नोटिस क्रमांक 2048 दिनांक 04.10.2024 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस क्रमांक 2049 दिनांक 04.10.2024 जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 15.10.2024 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।

4– अपीलार्थी नियत दिनाक को उपस्थित नही आया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा से अपील में वर्णित बिन्दूओ पर राजकाज रेफरेन्स संख्या 11077822 दिनाक 10.10.2024 के द्वारा जवाब पेश किया गया है। जवाब में अवगत कराया है, कि चॉही गयी सूचना कार्यालय से सम्बन्धित न होकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार धारा 6(3) के अन्तर्गत संबंधित को अंतरित कर दी गयी है।

5– पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से सूचित किया जा चूका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6– अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)